आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 91/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक, शाखा– प्लॉट नं. ए–58ए, ए–59, भूतल, स्कीम नं. 10–ए, रिद्धी सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. श्री मुकेश सैन पुत्र श्री गोपाल लाल सैन,
2. श्रीमती पारू सैन पत्नी श्री मुकेश सैन,
3. श्री राजू पुत्र श्री गोपाल लाल सैन,
4. श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री गोपाल लाल सैन,
5. श्री दिनेश सैन पुत्र श्री गोपाल लाल सैन,

पताः– ग्राम स्याह, तहसील कुरार, जिला टोंक।

एवं प्लॉट नं. 17 ए, रामनगर प्रथम, भांकरोटा रोड़, सिरसी, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

उपस्थित:

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश **दिनांक 20.03.2023**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.11.2020 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **श्री मुकेश सैन के स्वामित्त्व की आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 17–ए (प्लॉट नं. 17 का पार्ट), रामनगर प्रथम, भांकरोटा रोड़, सिरसी, जयपुर, क्षेत्रफल 50 वर्गगज** को बंधक रख कर कुल राशि 12,13,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.05.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक एवं हाईपोथिकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि **12,13,000/–** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **12,28,099.08/–** रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **27.05.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक/हाइपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी **श्री मुकेश सैन के स्वामित्त्व की बंधक आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 17–ए (प्लॉट नं. 17 का पार्ट), रामनगर प्रथम, भांकरोटा रोड़, सिरसी, जयपुर, क्षेत्रफल 50 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक **20.03.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर